पत्रांक–2ब०/विविध–24–32/2012(पार्ट–I) 355 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

पटना, दिनांक 29/3

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना मद से पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बुद्ध स्मृति पार्क के रख–रखाव, अनुरक्षण तथा मरम्मति हेतु ₹854.16364 लाख (आठ करोड़ चौवन लाख सोलह हजार तीन सौ चौसठ रु०) मात्र राशि के आवंटन की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पटना जंक्शन के पास बुद्ध स्मृति पार्क के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पार्क विकसित किया गया है। इस पार्क का निर्माण नगर विकास एवं आवास विभाग की भूमि पर कार्यकारी एजेंसी बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि० (बुडको), पटना द्वारा कराया गया है तथा इसके रख–रखाव की जिम्मेवारी भी 'बुडको' को दी गई है। यह पार्क अक्टूबर 2011 से आम जनता के लिए खोला जा चुका है।

2. प्रबंध निदेशक 'बुडको' के पत्रांक– 370, दिनांक– 14.02.2017 द्वारा पार्क के रख–रखाव, अनुरक्षण तथा मरम्मति का कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल ₹854.16364 लाख (आठ करोड़ चौवन लाख सोलह हजार तीन सौ चौसठ रु०) मात्र की राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। तद्नुसार उक्त कार्य हेतु किये गये अनुरोध एवं विभागीय राज्यादेश सं०– 354 दिनांक– 29/3/17 के आलोक में ₹854.16364 लाख (आठ करोड़ चौवन लाख सोलह हजार तीन सौ चौसठ रु०) मात्र आवंटित की जाती है।

3. उक्त आवंटित राशि ₹854.16364 लाख (आठ करोड़ चौवन लाख सोलह हजार तीन सौ चौसठ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विभागीय अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे**, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.1998, पत्रांक– 423, दिनांक– 31.03.2016 एवं पत्रांक– 811, दिनांक– 12.08.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जायेगी। बुडा द्वारा तत्काल ₹427.08183 लाख (चार करोड़ सताईस लाख आठ हजार एक सौ तिरासी रु०) मात्र RTGS/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कार्यकारी एजेंसी 'बुडको' को उपलब्ध कराया जायेगा। अवशेष राशि बुडको से अंकेक्षण प्रतिवेदन, पूर्व में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र, आय व्यय का लेखा आदि से

संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत उपलब्ध कराया जायेगा। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

4. राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

5. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी एक प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

6. आवंटित कुल राशि ₹854.16364 लाख (आठ करोड़ चौवन लाख सोलह हजार तीन सौ चौसठ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 के अन्तर्गत गैर योजना मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–01–राज्य के राजधानी का विकास, लघु शीर्ष–191–नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष–0021–बुद्ध स्मृति एवं अन्य पार्क विपत्र कोड– **N 2217011910021,** विषय शीर्ष–31 05 सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

29.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– 2ब०/विविध–24–32/2012(पार्ट–I) 355 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 29/03/17

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक–2ब०/विविध–24–32/2012(पार्ट–I) 354 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 29/3/17

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना मद से पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बुद्ध स्मृति पार्क के रख–रखाव, अनुरक्षण तथा मरम्मति हेतु ₹854.16364 लाख (आठ करोड़ चौवन लाख सोलह हजार तीन सौ चौसठ रु०) मात्र राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पटना जंक्शन के पास बुद्ध स्मृति पार्क के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पार्क विकसित किया गया है। इस पार्क का निर्माण नगर विकास एवं आवास विभाग की भूमि पर कार्यकारी एजेंसी बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि० (बुडको), पटना द्वारा कराया गया है तथा इसके रख–रखाव की जिम्मेवारी भी 'बुडको' को दी गई है। यह पार्क अक्टूबर 2011 से आम जनता के लिए खोला जा चुका है।

2. प्रबंध निदेशक 'बुडको' के पत्रांक– 370, दिनांक– 14.02.2017 द्वारा पार्क के रख–रखाव, अनुरक्षण तथा मरम्मति का कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल ₹854.16364 लाख (आठ करोड़ चौवन लाख सोलह हजार तीन सौ चौसठ रु०) मात्र की राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। तद्नुसार उक्त कार्य हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में ₹854.16364 लाख (आठ करोड़ चौवन लाख सोलह हजार तीन सौ चौसठ रु०) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इसके लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत राशि ₹854.16364 लाख (आठ करोड़ चौवन लाख सोलह हजार तीन सौ चौसठ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विभागीय अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे**, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.1998, पत्रांक– 423, दिनांक– 31.03.2016 एवं पत्रांक– 811, दिनांक– 12.08.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी की जाएगी। राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जायेगी। बुडा द्वारा तत्काल ₹427.08183 (चार करोड़ सताईस लाख आठ हजार एक सौ तिरासी रु०)मात्र RTGS/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कार्यकारी एजेंसी 'बुडको' को उपलब्ध कराया जायेगा। अवशेष राशि बुडको से अंकेक्षण प्रतिवेदन, पूर्व में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र, आय व्यय का लेखा आदि से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत उपलब्ध कराया जायेगा। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

4. राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

5. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी एक प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

6. स्वीकृत कुल राशि ₹854.16364 लाख (आठ करोड़ चौवन लाख सोलह हजार तीन सौ चौसठ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 के अन्तर्गत गैर योजना मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–01–राज्य के राजधानी का विकास, लघु शीर्ष–191–नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष–0021–बुद्ध स्मृति एवं अन्य पार्क विपत्र कोड– **N 2217011910021,** विषय शीर्ष–31 05 सहायक अनुदान– परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०–2ब०/विविध–24–32/12(पार्ट–I) के पृ० सं०–.........14.........../टि० पर दिनांक–27.03.2017... को एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृ० सं०– ....15......../टि० पर दिनांक–28.03.2017... को प्राप्त है।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. इसकी सूचना प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

29.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– 2ब०/विविध–24–32/2012(पार्ट–I) 354 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–29-3-17

प्रतिलिपि:– प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

आप्त